भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक 1239/मप्रविनिआ/2024—विद्युत अधिनियम, 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) के साथ पठित धारा 43(1), धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं धारा 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4,वर्ष 2001) की धारा 9(ञ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 {क्रमांक आरजी—I(II), वर्ष 2021} जिसे एतद् पश्चात् **"मूल संहिता"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न संहिता बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में तृतीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 यह संहिता **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (तृतीय संशोधन) {एआरजी—I (II)(iii), वर्ष 2024}"** कहलाएगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश के शासकीय "राजपत्र" में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. मूल संहिता के अध्याय 2 में संशोधन

2.1 खण्ड—2.1 के उप—खण्ड (डड) के पश्चात् निम्न उप—खण्ड (डड1) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(डड1) "स्वामी (Owner)" से अभिप्रेत है व्यक्ति जो सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार धारित करता हो तथा अभिव्यक्ति स्वामी में कानूनी उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे ;"

2.2 मूल संहिता के खण्ड—2.1 के उप—खण्ड (गग) के स्थान पर निम्न उप—खण्ड (गग) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(गग) "समूह उपयोगकर्ता (Group user) या रहवासी कल्याण संघ (Resident Welfare Association)" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हो या, कोई संघ जिसमें मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत समस्त सम्पत्ति स्वामी, बहुमंजिला

भवन (Multi storied Building), आवासीय कालोनी (Residential Colony), या राज्य शासन के साथ पंजीकृत इसी प्रकार का कोई निकाय, सम्मिलित होंगे ;"

3. मूल संहिता के अध्याय 4 में संशोधन

3.1 मूल संहिता के खण्ड 4.65 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

खण्ड 4.65 में उल्लेखित शब्दों "सात दिवस के भीतर" के स्थान पर शब्द "तत्काल" स्थापित किया जाए।

3.2 मूल संहिता के खण्ड 4.67 के पश्चात् निम्न पांच परन्तुक अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी कल्याण संघ (Residential Welfare Association) हेतु या तो एकल बिन्दु संयोजन (Single Point Connection) प्रदान करेगा या फिर प्रत्येक रहवासी कल्याण संघ में गृह और/या फ्लेट स्वामियों के बहुमत चयन के आधार पर प्रत्येक स्वामी को व्यक्तिगत संयोजन (Individual Connections) प्रदान करेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चयन (Choice) को पारदर्शी (ballot) मतदान प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि पचास प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक संख्या में स्वामी (Owners) व्यक्तिगत संयोजन को वरीयता प्रदान करते हों तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक स्वामी को व्यक्तिगत संयोजन प्रदान किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि यदि स्वामियों की पचास प्रतिशत से अधिक संख्या एकल बिन्दु संयोजन (Single Point Connection) को वरीयता प्रदान करती हों तो रहवासी कल्याण संघ हेतु ऐसे गृहों और/या स्वामियों को एकल बिन्दु संयोजन प्रदान किये जाएंगे जिनके द्वारा एकल बिन्दु संयोजन के लिये विकल्प प्रदान किया गया है, जबकि ऐसे गृहों और/या स्वामियों हेतु जो एकल बिन्दु संयोजन हेतु विकल्प प्रदान नहीं करते, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल संहिता के विनियम 4.84 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों

को संयोजनों की व्यवस्था के अध्यधीन प्रत्येक गृह और/या ऐसे स्वामियों को व्यक्तिगत संयोजन प्रदान किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि एकल बिन्दु संयोजन के प्रकरण में रहवासी कल्याण संघ ऐसे गृहों और/या स्वामियों के संयोजनों की मापयन्त्रीय (मीटरिंग) व्यवस्था, बिलिंग तथा धनराशि के संग्रहण हेतु उत्तरदायी होगा जिनके द्वारा रहवासी कल्याण संघ हेतु एकल बिन्दु संयोजन के लिये विकल्प प्रदान किया गया है जबकि ऐसे गृहों और/या स्वामियों हेतु जिनके द्वारा एकल बिन्दु संयोजन हेतु विकल्प प्रदान न किया गया हो वहां ये उत्तरदायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि रहवासी कल्याण संघ द्वारा मापयन्त्रीय (मीटरिंग) व्यवस्था, बिलिंग तथा धनराशि के संग्रहण हेतु की गई अतिरिक्त सहयोग (back-up) विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु, यदि कोई हो, हेतु व्यक्तिगत संयोजनों की व्यवस्था रहवासी कल्याण संघ द्वारा पृथक से की जाएगी।"

3.3 मूल संहिता के खण्ड 4.83 के पश्चात् दो परन्तुक निम्नानुसार अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"परन्तु यह कि रहवासी कल्याण संघ या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यथास्थिति, व्यक्तिगत गृह स्वामियों को आयोग द्वारा सुसंगत खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (Retail Supply Tariff) आदेश के अनुसार निर्दिष्ट दर तथा रीति के अनुसार बिल जारी किये जाएंगे :

परन्तु आगे यह और कि समस्त व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के परिसरों तक विद्युत प्रदाय व्यवस्था हेतु रहवासी कल्याण संघ के एकल बिन्दु संयोजन के अधीन या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से व्यक्तिगत संयोजनों के रूप में, भले ही उसका लाभ प्राप्त न भी किया गया हो, हेतु अतिरिक्त राशि जैसा कि आयोग द्वारा खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अन्तर्गत अवधारित की जाए, रहवासी कल्याण संघ द्वारा उपगत (incur) की गई उप–वितरण नेटवर्क लागत उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी।"

3.4 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के में संशोधन बाबत हिन्दी संस्करण में संशोधन आवश्यक नहीं है।

3.5 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (एक) के पश्चात् निम्न दो परन्तुक अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"परन्तु यह कि रहवासी कल्याण संघ या रहवासी कल्याण संघ के किसी फ्लेट के स्वामी द्वारा अनुरोध किये जाने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र या गैरेज में स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन विद्युत वाहन आवेशन (चार्जिंग) प्रणाली के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु पृथक संयोजन प्रदान किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि रहवासी कल्याण संघ में स्वतंत्र गृहस्वामी (फ्लेट स्वामियों को छोड़कर) को विद्युत वाहन आवेशन (चार्जिंग) प्रयोजन हेतु अपने घरेलू संयोजन का उपयोग प्रचलित खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार करने की पात्रता होगी।"

4. मूल संहिता के अध्याय 8 में संशोधन

4.1 मूल संहिता के खण्ड 8.24 के स्थान पर एक नवीन खण्ड 8.24 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"8.24. मापयन्त्र के बन्द हो जाने पर, मापयन्त्र की सील क्षतिग्रस्त हो जाने, मापयन्त्र के जल जाने या उसके क्षतिग्रस्त हो जाने पर या फिर इसी प्रकार की अन्य घटना के प्रकरण में भी उपभोक्ता द्वारा इसे विनियम 8.23 के अनुसार कतिपय सूचना या शिकायत के माध्यम से प्रतिवेदित किये जाने पर या अनुज्ञप्तिधारी के किसी पदाधिकारी द्वारा नियतकालिक या अन्य निरीक्षण के दौरान भी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से इस बारे में सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर सात दिवस के भीतर मापयन्त्र का परीक्षण किया जा सकेगा :

"परन्तु यह कि मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग) के बारे में उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने पर जो उसकी विद्युत खपत के अनुरूप न होने के बारे में हो, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी शिकायत

प्राप्त होने के पांच दिवस के भीतर विद्युत की खपत के सत्यापन हेतु न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु अतिरिक्त मापयन्त्र की स्थापना करेगा। यदि तीन माह की इस अवधि के दौरान मुख्य मापयन्त्र (main meter) तथा अतिरिक्त मापयन्त्र (additional meter) में सुसंबद्ध भारतीय मानक (IS) के अनुसार विनिर्दिष्ट विद्युत की खपत अनुज्ञेय परिशुद्ध सीमाओं (permissible accuracy limits) से अधिक पाई जाती है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन माह की पर्यवेक्षण अवधि (observation period) समाप्त होने के सात दिवस के भीतर मुख्य मापयन्त्र का परीक्षण किया जाएगा।"

4.2 मूल संहिता के खण्ड 8.52 के स्थान पर एक नवीन खण्ड 8.52 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"8.52. समस्त उपभोक्ताओं के बारे में, भले ही वे मीटरीकृत हों या अमीटरीकृत, हेतु देयक (बिल), प्रयोज्य प्रभारों, बकाया राशि, यदि कोई हो, कुल देय राशि, देयक दिनांक, देय भुगतान की अन्तिम तिथि, आदि तथा अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, संबंधी विवरण आयोग के आदेशानुसार जारी किया जाएगा। मीटरीकृत उपभोक्ता संबंधी देयक में, तथापि, मापयन्त्र वाचन के विवरण तथा खपत संबंधी विवरण भी सम्मिलित किये जाएंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक सरल प्ररूप में जारी किये जाएंगे जिन्हें उपभोक्ताओं द्वारा आसानी से समझा जा सके। वितरण अनुज्ञप्तिधारी देयकों को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में जारी किये जाने संबंधी सुविधा अपनी वेबसाइट तथा अन्य अनुप्रयोगों (applications) के माध्यम से सृजन करने की व्यवस्था करेगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.